भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2631
दिनांक 18 दिसम्बर, 2024/ 27 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

फोरेंसिक प्रयोगशाला क्षमताः

2631 श्री शक्तिसिंह गोहिलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कितनी फोरेंसिक प्रयोगशालाएं कार्यशील हैं और क्या ये प्रयोगशालाएं वर्तमान मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ख) फोरेंसिक रिपोर्ट प्रदान करने में विलम्ब, जिससे समय पर आरोप-पत्र दाखिल किए जाने में बाधा उत्पन्न होती है, का समाधान करने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ग) क्या जांच एजेंसियों को डीएनए और विसरा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई दिशानिर्देश या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) महत्वपूर्ण फोरेंसिक मामलों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार लाने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): देश मे फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के तहत देश में 7 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) हैं। ये सीएफएसएल भोपाल (मध्य प्रदेश), चंडीगढ़, कामरूप (असम), हैदराबाद (तेलंगाना), पुणे (महाराष्ट्र), दिल्ली और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं।

इसके अलावा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में 32 राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और 97 क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं।

(ख) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, जांच, अपराध और अपराधियों के अभियोजन और संबंधित फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र के पास हैं। किसी मामले में आरोप पत्र दायर करना संबंधित जांच एजेंसी/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी है, जो अन्य बातों के साथ-साथ कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि मामले की श्रेणी, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति और हितधारक का सहयोग। फोरेंसिक रिपोर्ट की उपलब्धता से जांच में सुविधा होती है।

केंद्र सरकार द्वारा देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और फोरेंसिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ मामलों की समय पर रिपोर्टिंग में मदद मिलेगी:

(i) भोपाल, गुवाहाटी और पुणे में तीन नई सीएफएसएल स्थापित की गई हैं और कोलकाता में मौजूदा सीएफएसएल का आधुनिकीकरण किया गया है।

(ii) फोरेंसिक विज्ञान के नए विषयों जैसे कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, डिजिटल फोरेंसिक, डीएनए फोरेंसिक विश्लेषण, फोरेंसिक मनोविज्ञान आदि समेत केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन किया गया है।

(iii) चंडीगढ़ में स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा स्थापित की गई है।

(iv) डिजिटल धोखाधड़ी/साइबर फोरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 126.84 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ देश में 06 अतिरिक्त एनसीएफएल को सीएफएसएल चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, कामरूप, भोपाल और पुणे में स्थापित करने की मंजूरी दी है।

(v) देश में 117 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (केंद्रीय और राज्य) को जोड़ने वाले ई-फोरेंसिक आई.टी. प्लेटफॉर्म को शुरू कर दिया गया है।

(vi) राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (राज्य एफएसएल) में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सभी परियोजनाओं (30) हेतु 245.29 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। अब तक 185.28 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

राज्य सभा अता. प्र.सं. 2631 दिनांक 18.12.2024

(vii) भारत सरकार ने सांबा, जम्मू में आठवें सीएफएसएल की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के तहत 860.3 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ देश में 07 अतिरिक्त सीएफएसएल की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

(viii) फोरेंसिक विज्ञान में जनशक्ति के क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए डीएनए साक्ष्य के संग्रह, भंडारण और हैंडलिंग तथा यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 32,524 जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18020 यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट भी वितरित किए हैं।

(ix) इसके अलावा, वर्ष 2022 में "फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण" योजना का 2080.5 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदन किया गया है। इस स्कीम के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं को विकसित करने, मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण मोबाइल फोरेंसिक वैन सहित, तथा देश में फोरेंसिक विज्ञान हेतु शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करके इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता उपलब्ध है। इस योजना में अब तक, 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन" के घटक हेतु 200 करोड़ रुपए अनुमोदित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत अब तक 433 मोबाइल फोरेंसिक वैन की खरीद के लिए 23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(x) गांधीनगर (गुजरात) और दिल्ली में एनएफएसयू के प्रारंभिक परिसरों के अलावा, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक) और गुवाहाटी (असम) में एनएफएसयू के 05 अतिरिक्त ऑफ परिसरों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। ये अतिरिक्त परिसर स्थायी परिसरों के निर्माण तक वर्तमान में अस्थाई परिसरों से क्रियान्वित हैं। इसके अलावा, एनएफएसयू ने इम्फाल (मणिपुर) और पुणे (महाराष्ट्र) में प्रशिक्षण/कौशल अकादमियां भी स्थापित की हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने दिनांक 19.06.2024 को "राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना

संवर्धन योजना" को मंजूरी दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-2025 से 2028-2029 तक 1309.13 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से एनएफएसयू के 09 अतिरिक्त परिसरों की स्थापना का घटक शामिल है।

(xi) फोरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

- एनएबीएल मानदंडों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं के प्रमाणन हेतु गुणवत्ता मैनुअल और फोरेंसिक विज्ञान के नौ विषयों में कार्य पद्धति मैनुअल।
- जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के प्रयोजनार्थ यौन हमले के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख-रखाव और उन्हें लाने-ले जाने हेतु ।
- फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना / स्तरोन्नयन के लिए उपकरण की मानक सूची।

(ग): डीएनए और विसरा रिपोर्ट देने में लगने वाला समय, अलग-अलग मामलों की जटिलता और साक्ष्यों की संख्या पर निर्भर करता है। न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय ने सीएफएसएल के सभी रिपोर्टिंग अधिकारियों के लिए फोरेंसिक जांच के लिए सीएफएसएलएस को भेजे गए मामलों में रिपोर्टिंग के लिए स्टैन्डर्ड टर्नअराउंड टाइम जारी किया है । डीएफएसएस ने इसे सभी राज्य एफएसएल को भी प्रसारित किया है।

(घ): इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) का उद्देश्य आपराधिक न्याय के प्रमुख स्तंभों को एकीकृत करके न्याय वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाना है जिसमें पुलिस (सीसीटीएनएस), न्यायालय (ई-न्यायालय), जेल (ई-कारागार), फोरेंसिक लैब (ई-फोरेंसिक) और अभियोजन (ई-अभियोजन) शामिल हैं। इनमें से, ई-फॉरेंसिक आईसीजेएस परियोजना के तहत विकसित एक ऑनलाइन केस पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली है, जिसका उद्देश्य अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार करना है।

****